

निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ०प्र०, लखनऊ

दिनांक : 14 जुलाई, 2016

पत्रांक : सी-631/बा०वि०परि०/लेखा/2016-17

समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/  
आहरण वितरण अधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।

निदेशालय परिपत्र संख्या सी-613/बा०वि०परि०/लेखा/2016-17 दिनांक 12.07.2016 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिये अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत शासनादेश संख्या 40/2016/1999/ 60-2-16-2/3(01)/12 टी०सी०-1 दिनांक 08 जुलाई, 2016 तथा शासनादेश संख्या 45/2016/2072/60-2-16-2/3(01)/12 टीसी-4 दिनांक 12 जुलाई, 2016 के क्रम में गर्भवती महिलाओं हेतु हीसला फीडिंग कार्यक्रम के लिए धनराशि आवंटित की गयी है।

उक्त के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि आदेश में उल्लिखित "ब्यौरेवार शीर्षक-18-गर्भवती महिलाओं के लिए फीडिंग कार्यक्रम" के स्थान पर "ब्यौरेवार शीर्षक-19-गर्भवती महिलाओं के लिए फीडिंग कार्यक्रम" पढ़ा जाय।

उक्त परिपत्र इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शेष शीर्षक, शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगी।

(विश्वजीत कुमार दास)  
अपर निदेशक (वित्त)।

पृष्ठांकन सं० सी- 631 /तद्विनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार उ०प्र० इलाहाबाद।
2. विशेष सचिव, बाल विकास एवं पुष्ठाहार, उत्तर प्रदेश शासन।
3. समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
4. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ०प्र०।
5. योजना अधिकारी, मुख्यालय।
6. उपनिदेशक, मुख्यालय को वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।

(विश्वजीत कुमार दास)  
अपर निदेशक (वित्त)।

## निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ०प्र०, लखनऊ

पत्रांक : सी-631/बा०वि०परि०/लेखा/2016-17

दिनांक : 14 जुलाई, 2016

समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/  
आहरण वितरण अधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।

निदेशालय परिपत्र संख्या सी-613/बा०वि०परि०/लेखा/2016-17 दिनांक 12.07.2016 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिये अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत शासनादेश संख्या 40/2016/1999/ 60-2-16-2/3(01)/12 टी०सी०-1 दिनांक 08 जुलाई, 2016 तथा शासनादेश संख्या 45/2016/2072/60-2-16-2/3(01)/12 टीसी-4 दिनांक 12 जुलाई, 2016 के क्रम में गर्भवती महिलाओं हेतु होसला फीडिंग कार्यक्रम के लिए धनराशि आवंटित की गयी है।

उक्त के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि आदेश में उल्लिखित "ब्यौरेवार शीर्षक-18-गर्भवती महिलाओं के लिए फीडिंग कार्यक्रम" के स्थान पर "ब्यौरेवार शीर्षक-19-गर्भवती महिलाओं के लिए फीडिंग कार्यक्रम" पढ़ा जाय।

उक्त परिपत्र इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शेष शीर्षक, शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगे।

(विश्वजीत कुमार दास)  
अपर निदेशक (वित्त)।

पुष्ठांकन सं० सी- 631 /तददिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनाय एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार उ०प्र० इलाहाबाद।
2. विशेष सचिव, बाल विकास एवं पुष्ठाहार, उत्तर प्रदेश शासन।
3. समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
4. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ०प्र०।
5. योजना अधिकारी, मुख्यालय।
6. उपनिदेशक, मुख्यालय को वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।

(विश्वजीत कुमार दास)  
अपर निदेशक (वित्त)।